यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर काशीपुर के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरिक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.08.2018 से 29.08.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी एवं श्री सतेन्द्र कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.08.2015 से 14.08.2015 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2010 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2010 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ट्रेडिंग ठेकेदार कार्य**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**ः

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1852.52
2016-17	1758.22
2017-18	457.38

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**	**व्यय राशि (₹)**	**अवशेष/समर्पण (₹)**
2015-16			
2016-17			
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **- ------------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर संख्या -01 अनियमित ITC का लाभ प्रदान किये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 5.08 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार 4(2) से सम्बंधित अनुसूची – 3 से वर्णित वस्तुओ (wood एवं Timber) की खरीद पर ITC का लाभ अनुमन्य नहीं होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – I राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री चौधरी फ़ूड वर्क्स, काशीपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वाद में व्यापारी जिसके द्वारा टिम्बर से टिम्बर प्रोडक्ट का निर्माण कर बिक्री का कारोबार किया जाता था, उपरोक्त दोनों वर्षो में Timber Packing Material, Plywood, firewood, wooden cable drums आदि की खरीद पर कुल ₹5,07,972/- के ITC का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था|

चूंकि व्यापारी द्वारा टिम्बर से टिम्बर प्रोडक्ट का निर्माण कार्य किया जाता था| अत: व्यापारी द्वारा खरीद की गयी वस्तु Timber Packing Material, Plywood, firewood, wooden cable drums वास्तव में Timber की श्रेणी में आने के कारण इसकी खरीद पर ITC नियमानुसार अनुमन्य नहीं था|

इसं संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जाँच कर लेखापरीक्षा को सूचित कराने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-2 ब्याज की धनराशि का वसूल नही किया जाना ₹ 1.12 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही किया जाता है। तो ऐसी धनराशि पर कर जमा करने के दिनांक तक 1.25**%** प्रतिमाह की दर से 15**%** प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0)-**I,** राज्यकर, काशीपुर की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि निम्नलिखित 03 व्यापारियों द्वारा अपने स्वीकृत कर पर नियमानुसार ₹**112933/-** का ब्याज जमा नहीं किया गया था|

क्रं सं	**व्यापारी का नाम / कर निर्धारण वर्ष**	**स्वीकृत कर की धनराशि (Rs)**	**स्वीकृत कर जमा करने की निर्धारित तिथी / वास्तविक तिथि**	**विलम्ब (माह में)**	**देय ब्याज की धनराशी (Rs)**
1.	सर्वश्री चौधरी वुड वर्क्स, काशीपुर 2013-14	27960	30.09.2013 / 03.03.2018	53 माह 30 दिन	18558
2.	सर्वश्री काशीपुर ड्रग सप्लायर, कादरी मार्केट, काशीपुर 2014-15	73472	30.09.2014 / 14.12.2016	26 माह 14 दिन	24301
3.[1]	सर्वश्री फौलाद कंस्ट्रक्शन, काशीपुर 2013-14	152500	30.09.2013 / 24.11.2016	37 माह 24 दिन	72035
		253932			114894

उक्त के अतिरिक्त क्रमांक संख्या -3 पर अंकित व्यापारी द्वारा अवशेष 7093/- जिसपर दिनांक 01.10.2013 से ब्याज भी देय था लेखापरीक्षा की तिथि तक जमा नहीं किया गया था।

इसं संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा ब्याज की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित करने का आश्वासन दिया गया है। जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी

[1] क्रमांक संख्या-3 पर अंकित व्योव्हारी द्वारा अवशेष कर Rs 7093/- जिसपर दिनांक 01.10.2013 से ब्याज भी देय था जो लेखापरीक्षा की तिथि थक जमा नहीं किया गया था|

<u>भाग 2(ख)</u>

<u>प्रस्तर स-</u><u>03</u> **<u>अर्थदण्ड का अनारोपण ₹</u>**<u>0.24</u> **<u>लाख|</u>**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यापारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – I राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि **01** व्यापारी द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि **₹ 242246**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलग्न)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से **₹24225**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अर्थदंड की कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता

RS/CT-68/2018-19

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (Rs)	न्यूनतमआरोपणीय अर्थदण्ड (कर का10%)
1.	**सर्वश्री फौलाद कंस्ट्रक्शन, काशीपुर टिन:** 05009912746	2013-14	-	**-**	24.11.2016	152500	15250.0
2.	**सर्वश्री सद्भावना मार्केटिंग, काशीपुर टिन:** 05002421242	**2014-15**	04/2014	20.05.2014	24.05.2014	85078	8507.8
			05/2014	20.06.2014	29.0**6**.2014	4668	466.8
	TOTAL					**242246**	**24224.6**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
29/2010-11	-	01,02,03	
07/2008-09	01	-	
20/2006-07	-	03	
30/2005-06	-	01	
29/2004-05	01,02	-	
94/2002-03	01,02	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अभिलेखों की सूची दी गयी किन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ऑडिट मेमों से 0663/58 का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती कविता पाठक उपाध्याय	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र